अनुमति की शर्तें ।

(1) एकल भवन / भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।

(2) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, आकस्मात या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।

(3) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।

(4) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

फार्म बिक्री केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 185 दिनांक 18/7/2019

श्री/श्रीमती ओम प्रकाश S/o श्री हजारी राम

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश कर स्वनिर्धारण राशि रूपये 8900/- जमा जरिये रसीद संख्या 1028/4170, 4171 दिनांक 18/5/2019 को जमा करा दी है ।

P. No. 26 बी प्रमिक पुरा बस्ती मसूरिया

जमा

आवासीय

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

Rec
19/7/19